[1][नियम 138घ : यान को निरूद्ध किए जाने से संबंधित जानकारी अपलोड करने संबंधी प्रसुविधा

जब किसी यान को रोका गया है और तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए निरूद्ध किया गया है वहां परिवाहक उक्त जानकारी को सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–04** पर अपलोड कर सकेगा।

[2]**[स्पष्टीकरण–**इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं है, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है।**]**

---

1 अधिसूचना क्रमांक 12/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138घ प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01. 04.2018 से प्रभावशील किये गये है। पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018

2 अधिसूचना क्रमांक 14/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2018)।